न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,षष्टम,बिहारशरीफ,नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन सं0 1085/23

लल्लु मालाकार उर्फ लल्लु प्रसाद बनाम बिहार सरकार

22.08.23

बिहार थाना काण्ड सं0 392/2023 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 332, 333, 353, 307, 379, 427, 504, 506 भा.द.वि. के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त लल्लु मालाकार उर्फ लल्लु प्रसाद की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो दिनांक 18.07.23 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजन को प्रदान करा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि आवेदक की जमानत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नालन्दा द्वारा दिनांक 05.08.2023 को खारिज कर दिया गया है। आवेदक की ओर से पुर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1089/2023 दाखिल किया गया था और वह लंबित था तो आवेदक को गिरफतार कर लिया गया है, जिसके कारण अग्रिम जमानत से उसका नाम हटा दिया गया था। आवेदक को इस मुकदमा में गलत फॅसाया गया है। उसपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है। धारा 332,333,353,307 भा.द.वि. इस केस में लागू नहीं होता है। चोरी का आरोप सुपर एडीशन है। आवेदक न्याप्रिय व्यक्ति है और बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाय।

अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

सूचक पु0नि0 निरज कुमार सिंह द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के कि0 मिस0 नं0 19789/2023 श्रीमती मालती देवी बनाम बिहार सरकार के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ कि मालती देवी का खाली जमीन पर चार–दिवारी बनाने में सहयोग करें। उक्त आदेश के आलेक में सूचक पुलिस बल के साथ दिनांक 29.04.2023 को 10.15 बजे नई सराय चुड़ीचक पहुॅचा उसी समय अंचलाधिकारी, सदर, बिहारशरीफ भी पहुॅचे। जमीन पर चार दिवारी के निर्माण हेतु पिलर गाड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया। निर्माण कार्य पुरा नहीं होने के कारण दुसरे दिन पुरा करने का निर्णय लिया गया और चौकिदार सुरज कुमार एवं अनील कुमार को देख रेख के लिए नियुक्त किया गया। पुनः दिनांक 30.04.2023 को चौकिदार सुरज कुमार 09.00 बजे फोन के द्वारा सूचना दिया गया कि भोसू यादव के नेतृत्व में 100–150 अज्ञात पुरूष एवं महिला पिलर के

क्रमशः

नियमित जमानत आवेदन सं0 1085 / 23

लगातार

22.08.2023

छड़ काट रहे हैं और उखाड़ रहे है। इस सूचना पर सूचक पुलिस बल के साथ उक्त स्थान पर पहुॅचा तो देखा कि एक व्यक्ति सफेद रंग का कुर्ता–धोती पहने हुए हल्ला करते हुए पिलर का छड़ काटने एवं उखाड़ने के लिए उकसा रहा था। पुलिस को देखकर भींड उग्र हो गये, पुलिस मुर्दाबाद, मंदिर के पास निर्माण कार्य नहीं होने देगे का नारा लगाने लगे। उपस्थित भीड़ में चौकिदार सुरज कुमार, अनिल कुमार एवं पदाधिकारी और सिपाहियों के द्वारा भीड़ में शामिल लोगों का पहचान प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के रूप में किया गया। भीड़ में शामिल लोगों को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं माने और निर्माण कार्य नहीं होने को लेकर अडिग थे। पुलिस एवं निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों के साथ हाथापाई और गाली गलौज करने लगे। मजदूरों को जान मारने के उद्देश्य से गर्दन दबाने लगे। पुलिस बल के द्वारा बाधा उत्पन्न कर रहे व्यक्तियों को खदेड़ा गया जो गली का लाभ उठाकर भाग गये। मजदुरों द्वारा बताया गया कि उनका कुदाल, बेलचा,तगाडी लेकर चले गये।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक लल्लु मालाकार उर्फ लल्लु प्रसाद के विरूद्ध अभियोग लगाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय,पटना के आदेश के आलोक में हो रहे निर्माण कार्य में आवेदक सहित 100–150 अज्ञात की संख्या में पुरूष एवं महिला के द्वारा बाधा उत्पन्न किया गया तथा पुलिस बल एवं मजदुरों के साथ मारपीट किया गया। आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। काण्ड दैनिकी में किसी को जख्मी होने का साक्ष्य नहीं हैं। आवेदक ने अपने जमानत आवेदन के पैरा 3 में कहा है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 18.07.2023 से कारा अभिरक्षा में है। इस स्थिति में आवेदक को जमानत पर मक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत आवेदक अभियुक्त लल्लु मालाकार उर्फ लल्लु प्रसाद की ओर से 15000/–रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंध पत्र निष्पादित करने के उपरान्त जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है किः–

1. एक जमानतदार आवेदक के नजदीकी रिश्तेदार होगें।
2. आवेदक शपथ पत्र देगें कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
3. आवेदक भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होगें।
4. आवेदक आरोप गठन तक तथा न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

(लेखापित एवं संशोधित)

Sd/-

(धीरज कुमार भास्कर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–षष्टम

नालन्दा, बिहारशरीफ।